वाद संख्या :– 88/2020 संगीता बनाम ग्राम विकास अधिकारी चितावा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– **श्री सुनील कुमार-I, (RAS)**

राजस्व वाद पत्र संख्या :– **88/2020** GCMS 2020/00186

वादी:–

संगीता पत्नी सुशील कुमार जाति ब्राह्मण उम्र .... वर्ष निवासी ग्राम चितावा तहसील कुचामन सिटी जिला नागौर।

प्रतिवादीगण :–

1. ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत चितावा, पं. सं. कुचामन सिटी।
2. सरपंच, ग्राम पंचायत चितावा पं. सं. कुचामन सिटी।
3. विकास अधिकारी पंचायत समिति कुचामन सिटी।
4. पटवारी, पटवार मण्डल चितावा तहसील कुचामन सिटी।
5. राजस्थान सरकार जरिए प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामन सिटी (भूमिधारी)

दावा रिकॉर्ड दुरूस्ती, नक्शा दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 129 to 131 RLR Act. 1956

उपस्थित :– श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता की ओर से

–:निर्णय :–

दिनांक:– 11/06/2025

वकील वादी द्वारा प्रस्तुत इस वाद–पत्र का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि ग्राम चितावा तहसील कुचामन सिटी की सरहद में कृषि भूमि खसरा नं. 674 रकबा 0.49 हैक्टर स्थित चली आ रही है व वादी की काबिज खातेदारी की दर्ज चली आ रही है। उपरोक्त भूमि तत्कालीन काबिज खातेदार रितिक कुमार के द्वारा दो अलग–अलग विक्रय पत्रों के द्वारा मुझ वादी की तत्कालीन बाजार भाव की कीमत देकर खरीदशुदा भूमि आई हुई है जिसका खसरा नं. 674 रकबा 0.49 हैक्टर सम्पूर्ण भूमि मुझ वादी की जरिए विक्रय पत्र खरीदशुदा भूमि दर्ज चली आ रही है जिसमें निर्विवाद रूप से काबिज होकर उपयोग–उपभोग करते आ रहे हैं। उपरोक्त भूमि के विक्रय पत्र में मय पड़ौसियान दर्शाते हुए विक्रय पत्र पंजीयन किया गया उसी अनुसार मुझ वादी का कब्जा अधिकार चला आ रहा है जिसमें कभी किसी प्रकार का रास्ता मौके पर नहीं रहा है न ही राजस्व रिकॉर्ड में कहीं रास्ते का अंकन है सिवाय नक्शा में गलत मार्क किया हुआ है जबकि उपरोक्त भूमि सम्पूर्ण मुझ वादी की काबिज खातेदारी अधिकारों की दर्ज चली आ रही है जिसमें नक्शा दुरूस्ती कराने की वादी हकदार है। उपरोक्त भूमि के नक्शा में मौके दर्शाया गया है जो कि मुझ वादी की खातेदारी भूमि में दर्शाया गया है जबकि मेरी स्वयं की खरीदशुदा भूमि है। मौके पर कम पड़ रही है। नाप–चौक करने पर 0.49 हैक्टर भूमि बनती है उसके

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.08 15:40:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना–कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन) सत्यमेव जयते

Scanned with OKEN Scanner

बावजूद यह गलत मार्क हो रखा है जो कि बिना किसी विधिक या सक्षम अधिकारी के आदेश के किया गया है जो कि गलत है जिसको दुरूस्त किया जाना आवश्यक है जिसकी वादी हकदार है। उपरोक्त भूमि में जो कि मुझ वादी की काबिज खातेदारी अधिकारों की भूमि में प्रतिवादी जबरन बिना सहमति किसी प्रकार का दखल इत्यादि नही डालें न ही किसी प्रकार का रास्ता कायम करें। यदि वह ऐसा करने में सफल हो गये तो मुझ वादी के अधिकारों पर बेजा कुठाराघात होगा, अनावश्यक मुकदमेबाजी बढ़कर बर्बादी होगी जिसकी क्षतिपूर्ति रूपये इत्यादि में कभी पूरी नहीं की जा सकती है इसलिए वादी को अपने अधिकारों की सुरक्षार्थ यह वाद लाना आवश्यक हुआ है। उपरोक्त भूमि में मुझ वादी की काबिज खातेदारी भूमि का नक्शा दुरूस्ती व रिकॉर्ड दुरूस्ती कराने व अपने हितों की सुरक्षार्थ यह स्थाई निषेधाज्ञा का वाद लाना आवश्यक हुआ है। बिनाय दावा अभी पटवारी हल्का को उक्त नक्शा दुरूस्ती बाबत कहा तो उन्होंने ऐसा न्यायालय आदेश से ही किया जाना सम्भव होना बताया व प्रतिवादीगण द्वारा मेरी भूमि से जबरन बेदखल कर मेरी खातेदारी भूमि में सड़क निर्माण करने पर उतारू हो रहे हैं इसलिए यह वाद आज बमुकाम ग्राम चितावा तहसील कुचामन सिटी में पैदा हुआ है। मामला आवश्यक प्रकृति का होने से दो पूर्व नोटिस दिया जाना सम्भव नहीं होने से अलग से 80 (2) सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र अलग से पेश है।

इस्तदुआ वादी निम्न प्रकार है :—

यह है कि ग्राम चितावा तहसील कुचामन सिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नं. 674 रकबा 0.49 हैक्टर भूमि वादी की काबिज खातेदारी की दर्ज भूमि में नक्शा दुरूस्त कर रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाने की डिक्री सादिर फरमाई जावे। उपरोक्त भूमि खसरा नं. 274 रकबा 0.49 हैक्टर भूमि में प्रतिवादीगण किसी प्रकार का दखल इत्यादि नहीं डालें न ही अपने एजेन्टों से डलवायें, किसी प्रकार की ग्रेवल सड़क या रास्ता इत्यादि कायम नहीं करें तथा मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री सादिर फरमाई जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित। जिनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार कुचामन सिटी से रिपोर्ट प्राप्त कर शामिल मिसल की गई।

वकील वादी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य में ग्राम चितावा के खाता संख्या (नया) 782 की नकल जमाबंदी, नकल नक्शा ट्रेस, बेचाननामा दस्तावेज की प्रतिया पेश की है व मौखिक साक्ष्य में वादिया संगीता व ग[illegible] का शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.08 15:40:10 IST
Reason: SelfAttested

वकील वादी की एक पक्षीय अंतिम बहस सुनी गई। वादी ने ग्राम चितावा तहसील कुचामन सिटी की सरहद में स्थित कृ[illegible] भूमि खसरा नम्बर 674 रकबा 0.49

उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

Scanned with OKEN Scanner

हैक्टयर भूमि वादी की काबिज खातेदारी की दर्ज भूमि में नक्शा दुरूस्त कर रिकॉर्ड दुरूस्त करवाये जाने व उक्त खसरा नम्बरान् की भूमि में मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। वादी वादी स्वीकार योग्य पाया गया। वाद वादी स्वीकार किया जाकर निम्नानुसार आदेश दिए जाते हैं :–

–: आदेश :–

ग्राम चितावा के खसरा नम्बर 674 रकबा 0.49 हैक्टयर में वादिया संगीता को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त खसरा नम्बर के पूर्वी दिशा में दर्शित डॉट लाईन को राजस्व रेकर्ड से हटाया जाकर खसरा नम्बर 674 रकबा 0.49 हैक्टयर भूमि वादी की काबिज खातेदारी की दर्ज भूमि में नक्शा दुरूस्त कर रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है व ग्राम चितावा के खसरा नम्बर 674 रबा 0.49 हैक्टयर में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है। तहसीलदार कुचामन सिटी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 11/06/2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (सील)
उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)
(सुनील कुमार, RAS)
उपखण्ड अधिकारी,
कुचामनसिटी

उपखण्ड अधिकारी (डीडवाना-कुचामन) कुचामनसिटी (डीडवाना) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.08 15:40:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner